राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 705/2024

भूपेन्द्र कुमार सबल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर (राज.)।
3. श्री पूरणमल यादव, पशुधन सहायक (LSA), वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पशु चिकित्सा (पशु) अस्पताल, अलसीसर, जिला जयपुर (राज.) पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एल.एस.ए. के पद पर पशु चिकित्सा आलीसर, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र कमरपुरा, शाहपुरा, जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है।

अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था और मात्र एक वर्ष की अल्पावधि में ही पुनः स्थानान्तरण शाहपुरा, जयपुर कर दिया गया है। अपीलार्थी की पत्नी का वर्ष 2019 में निधन हो गया है। अपीलार्थी के पिता जो 72 वर्ष एवं उनकी माता 68 वर्ष के वृद्ध महिला हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है, फिर भी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के आशय से स्थानान्तरित किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी की यदि कोई पारिवारिक परेशानी है तो उसे अभ्यावेदन विभाग में प्रस्तुत करना चाहिये। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के अनुसार जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एल.एस.ए. के पद पर पशु चिकित्सा आलीसर, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र कमरपुरा, शाहपुरा, जयपुर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितयों को ध्यान में न रखते हुये उसका स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)